राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / दिनांक

–: परिपत्र :–

निदेशालय के आदेश क्रमांक 937 दिनांक 03.08.2011 के अनुसरण में परिपत्र क्रमांकः 173 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा जानकारी चाही गई थी, कि ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित चिकित्सक जिन्होने राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा नियमित चयन पर पुनः कार्यग्रहण किया है एवं नियमित चयन पश्चात् पुनः परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर निदेशालय द्वारा चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत नहीं कराई गई है। उक्त चिकित्सको का नाम चिकित्सा अधिकारियो की वरिष्ठता सूची अथवा डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु पात्रता सूची मे सम्मिलित नहीं हुआ है, उनके संबंध में नियत्रंण अधिकारी अवगत कराने का श्रम करावें, कि उक्त चिकित्सको द्वारा नियमित सेवा में चयन से पूर्व सेवा का वेतन लेने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं ? ताकि इन चिकित्सको का नाम डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु पात्रता सूची मे सम्मिलित किया जा सके।

इस संबंध में पुनः लेख है, कि उक्त चिकित्सको द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो, किन्तु उनके सेवा विवरण सहित पूर्ण सूचना शीघ्रति–शीघ्र निदेशालय में भिजवाने का श्रम करावें, यदि इसके अभाव मे वे पदोन्नति से वंचित रहते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / 615 दिनांक 5/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, ईएसआई / एमएसयू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के भेजकर लेख है, कि अपने सेवा विवरण नियत्रंण अधिकारी के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, इसके अभाव मे वे पदोन्नति से वंचित रहते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
9. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर